क्रमांक 66/32/87–7 जी० एस० I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल ।

(2) सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य ।

(3) रजिस्ट्रार, पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 28.10.93

विषय :– हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में से उम्मीदवारों की नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र अशा:क्रमांक 1673–जी–II–56, दिनांक 22–3–1955 क्रमांक 2311/1 जी. एस. I–72/15727, दिनांक 26–5–1972, क्रमांक 5024–1 जी. एस. I–72/26877, दिनांक 8–9–72 तथा इस निमित समय–समय पर जारी की गई सरकार की हिदायतों की ओर दिलाऊं और यह कहूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये उम्मीदवारों की सूची की कितनी सीमा होनी चाहिये और उस सूची में से किस प्रकार नियुक्तियां की जानी चाहिये का मामला काफी समय से सरकार के विचाराधीन था । विचारोपरान्त अब इन हिदायतों में निम्न प्रकार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :—

1. अधीनस्थ सेवायें प्रवरण मण्डल की तरह हरियाणा लोक सेवा आयोग भी मूल सूची के अतिरिक्त 25 रिक्तियों के लिये 25%, 25 से 50 रिक्तियों के लिये 15% और 50 से ऊपर की रिक्तियों के लिये 10% और कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनायेगा और विभाग को मूल सूची के साथ इस प्रतीक्षा सूची को भी भेजेगा । हरियाणा लोक सेवा आयोग अपनी सिफारिश में यह स्पष्ट करेगा कि कितने उम्मीदवारों तक की सूची मूल सूची है और कितने उम्मीदवारों के बाद की सची प्रतीक्षा सूची है ।

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग की मूल सूची (Original List) केवल 6 मास तक वैध रहेगी और सभी विभाग मूल सूची में से रिक्तियां भरने की कार्यवाही 6 मास के अन्दर–अन्दर पूरी करेंगे; 6 मास के पश्चात मूल सूची की वैधता समाप्त हो जायेगी ।

3. हरियाणा लोक सेवा आयोग की प्रतीक्षा सूची मूल सूची के समाप्त होने के पश्चात 6 मास और वैध रहेगी अर्थात उसकी वैधता कुल एक वर्ष तक होगी ।

4. प्रतीक्षा सूची में से नियुक्तियां तभी की जाएंगी जब मूल सूची समाप्त हो जाएगी और प्रतीक्षा सूची में से केवल उन रिक्तियों को ही भरा जाएगा जो सूची प्राप्त होने की तिथि के 6 मास के अन्दर अन्दर उपलब्ध हुई हों । 6 मास के पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए ताजा मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा ।

5. पिछले काफी समय से सरकार के ध्यान में आया है कि जहां चयन कई सेवाओं के लिये संयुक्त परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा किया जाता है और किसी सेवा की कोई रिक्ति किसी कारणवश नहीं भरी जाती या बाद में किसी कारणवश खाली हो जाती है तो अन्य सेवाओं के उम्मीदवार उस पद के लिये अपना हक

इसलिय यदि एसा किया जाए तो सारी सूची को पुन: सशोधित करना पड़ता है । इसलिये ये हिदाय
उन केसों में लागू नहीं होंगी जहां चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा चाहे व
एक सेवा के लिये हो या संयुक्त सेवाओं के लिये । इस तरह के केसों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बना
जाएगी और हरियाणा लोक सेवा आयोग को साक्षात्कार के समय तक उपलब्ध होने वाली सूचित की ग
रिक्तियों के अतिरिक्त यदि कोई और रिक्ति उपलब्ध होगी या हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा भेज
गई सूची में से किसी कारणवश भरी न जाए या बाद में किसी कारणवश खाली हो जाए, तो अगल
भर्ती के लिये carry forward की जाएगी । यह हिदायतें वहां भी लागू नहीं होगी जहां नियमों
कोई अन्य specific provision हो ।

हस्ताक्षर

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 66/32/88-7 जी. एस. I   दिनांक चण्डीगढ़   28-10-93

एक प्रति सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़/ सचिव, हरियाणा अधीनस्थ सेवायें प्रवरण मण्डल क
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

हस्ताक्षर

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,

कृते:-मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि
है ।

हस्ताक्षर

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 66/32/88-7 जी0एस0 I   दिनांक, चण्डीगढ़   28-10-93